



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 08 मार्च 2025

थाना सलेमपुर

01 शातिर अभियुक्त 500 ग्राम डोडा पोस्ट व अवैध चाकू सहित गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 08-03-2025 को थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त को चिट्ठा-धतूरी पुलिस के पास से 500 ग्राम डोडा पोस्ट व अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सलेमपुर पर मुअसं- 68/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- 1- सलमान पुत्र आजाद निवासी ग्राम चिट्ठा उर्फ चिरचिटा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 500 ग्राम डोडा पोस्ट
- 2- 01 अवैध चाकू

अभियुक्त सलमान का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं- 457/19 धारा 379/420 भादवि व 66 आईटीएक्ट थाना गाँधी पार्क जनपद अलीगढ़।
- 2- मुअसं- 996/19 धारा 420 भादवि थाना एत्मादौला जनपद आगरा।
- 3- मुअसं- 443/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 4- मुअसं- 335/18 धारा 411/420 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 5- मुअसं- 181/18 धारा 392/411 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
- 6- मुअसं- 123/19 धारा 363/366 भादवि व 3(2)(V) एससीएसटी एक्ट थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 7- मुअसं- 246/18 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 8- मुअसं- 320/17 धारा 147/148/323/332/353 भादवि व धारा 7 आपराधिक कानून अधि० व 31(ए) क्रिमिनल एक्ट थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 9- मुअसं- 815/20 धारा 411/420 भादवि थाना फेस तृतीय जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 10- मुअसं- 348/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना मवाना जनपद मेरठ।
- 11- मुअसं- 222/22 धारा 379/411/420 भादवि थाना मझौला जनपद मुरादाबाद।
- 12- मुअसं- 351/20 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।
- 13- मुअसं- 574/20 धारा 406/420 भादवि थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 14- मुअसं- 82/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक तृतीय जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 15- मुअसं- 68/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 4/25 शस्त्र अधि० थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- श्री लोकेश अग्निहोत्री थाना प्रभारी सलेमपुर
- 2- उ०नि० मनोज कुमार दीक्षित, उ०नि० शिवोम कठेरिया
- 3- का० रामवीर सिंह, का० निरवान सिंह



मीडिया सेल बुलंदशहर